

प्ररूप-एक
(नियम 7 देखिये)
एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में
अनुज्ञप्ति देने के लिए/ अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन

आवेदन क्रमांक -

दिनांक -

प्रति,

अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स
भोपाल.

1. आवेदक फर्म का नाम तथा पता, जो मण्डी क्षेत्रों में कारबार करना चाहता है:-

2. आवेदन का नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता दूरभाष क्रमांक:-

3. आवेदक व्यक्ति (इंडिविज्युअल) से भिन्न हो तो फर्म/ हिन्दु अभिवक्त कुटुंब/ कंपनी/ सोसाइटी, समस्त कार्यकर्ता/ भागीदार/ संचालक के नाम एवं पूर्ण पते:-

नाम	पिता का नाम	आयु	पता	दूरभाष नं.	पुलिस स्टेशन का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. यदि आवेदक फर्म/कंपनी/सहकारी सोसाइटी है तो रजिस्ट्रेशन क्रमांक तथा तारीख:-

5. आवेदक व्यापारी है या प्रसंस्करणकर्ता, एक्सचेंज -
(व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/एक्सचेंज)

6. पूर्ववर्ती वर्ष का अनुज्ञप्ति क्रमांक (यदि कोई हो):-

7. आवेदक का वाणिज्यिक कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक टी.आई.एन क्रमांक तथा केन्द्रीय
आबकारी कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक :-

8. आवेदक का आयकर का स्थायी खाता क्रमांक (पी.ए.एन.):-(
कृपया छायाप्रति संलग्न करें)

9. मध्यप्रदेश में स्थित उस बैंक का नाम जिसमें आवेदन का खाता है:-

अनु- क्रमांक	बैंक तथा ब्रांच का नाम/शाखा	खाते का प्रकार	खाता क्रमांक	बैंक खाते में आवेदन के तारीख को जमा रकम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(कृपया उपलब्ध निधि के प्रमाण के रूप में शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित समस्त बैंक खातों की
छायाप्रति संलग्न करें.)-

10. आवेदक फर्म आदि द्वारा मध्यप्रदेश में विनिधान की गई पूंजी:-
(कृपया विवरण दें)

11. उन मण्डी क्षेत्रों का नाम, जिनमें आवेदक द्वारा कारबार प्रस्तावित है:-

अनु- क्रमांक	मंडी क्षेत्र का नाम	संबंधित मंडी समिति का नाम	मंडी क्षेत्र में क्रय हेतु प्रस्तावित कृषि उपज का नाम तथा अनुमानित मात्रा नियम 4(2) देखिए	
			कृषि उपज का नाम	वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली अनिमनित मात्रा (मीट्रिक टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

12. यथा उपदर्शित मंडी क्षेत्रों में आवेदक द्वारा प्रस्तावित क्रय केंद्रों के नाम -
कृपया अभिन्यास (ले-आउट) संलग्न करें.

अनु- क्रमांक	दर्शित मंडी क्षेत्र का नाम	दर्शित प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में प्रस्तावित क्रय केन्द्रों का क्रमांक तथा नाम	क्रय केन्द्र प्रभारी/प्रबंधक का नाम पता दूरभाष नंबर	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित क्रय केन्द्र पर क्रय हेतु प्रस्तावित कृषि-उपज का नाम तथा अनुमानित मात्रा		अभ्युक्ति
				कृषि उपज का नाम	अनुमानित मात्रा (मीट्रिक टन में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

13. आवेदक द्वारा क्रय केन्द्र पर सृजित की गई सुविधाओं की जानकारी-
(नियम 10 देखें)

(क)	इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज	
(ख)	पेयजल की व्यवस्था	
(ग)	समुचित प्रकाश की व्यवस्था	
(घ)	भुगतान काउंटर/कार्यालय	
(ङ)	नमी/ कचरा/ क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत निर्धारण के लिये आवश्यक उपकरण एवं प्रशिक्षित मानव शक्ति	
(च)	कृषकों के विश्राम हेतु छायादार विश्राम स्थल	
(छ)	पुरुष महिला के लिए शौचालय की सुविधा	
(ज)	ट्रेक्टर ट्राली की पार्किंग की समुचित व्यवस्था	
(झ)	शेड की व्यवस्था	
(ञ)		
(ट)		
(ठ)		

एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामलों में -

- (एक) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म;
- (दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण, किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा;
- (तीन) सुपुर्दगी केंद्र.

14. अनुक्रमांक 12 में दर्शाये गये क्रय केन्द्र का अभिन्यास (ले-आउट), उपलब्ध गोदाम की संख्या तथा भंडारण क्षमता
(सूची संलग्न करें तथा गोदाम के स्वामी के नाम आदि की जानकारी दे)

अनु-क्रमांक	क्रय केन्द्र का नाम	उपलब्ध गोदाम	गोदाम का स्थान	गोदाम के स्वामी का नाम	स्थान/स्थिति	भूमि आदि की विशिष्टियां यदि भूमि उपलब्ध हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

15. अनुक्रमांक 11 और 12 के अनुसार अनुमोदित क्रय केन्द्रों पर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की मात्रा-
(सूची संलग्न करें)

अनु- क्रमांक	मण्डी का नाम	क्रय केन्द्र का नाम	क्रय की गई कृषि-उपज का नाम तथा मात्रा		उपज का मूल्य
			कृषि-उपज का नाम	क्रय की गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

16. आवेदक फर्म से सभी क्रय केन्द्रों पर अधिसूचित कृषि उपजों के कारोबार के लिए कार्य करने हेतु अधिकृत किये गये व्यक्तियों/सेवकों की सूची-

अनु- क्रमांक	नाम	पिता का नाम	पता	दूरभाष क्रमांक	आवंटित कार्य एवं दायित्व (आवंटित कार्य में किसी परिवर्तन की दशा में प्रशासनिक मण्डी समिति को सूचना दी जायेगी)	फर्म/ कंपनी / सोसाइटी में स्वामी/ भागीदार/ संचालक/प्रबंधक/ आदि के रूप में पदीय हैसियत	हस्ताक्षर के नमूने (दो)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

17.कंपनी/ फर्म/ सोसाईटी/ के कारोबार का प्रमुख स्थान, मुख्यालय तथा शाखाओं की सूची:-

अनु- क्रमांक	कारोबार का मुख्य स्थान	मुख्यालय/ कार्यालय	शाखाओं के नाम/पते	शाखा प्रभारी का नाम, पता दूरभाष क्रमांक कार्यालय/निवास	कार्यालय प्रमुख का नाम/पता/दूरभाष क्रमांक कार्यालय/निवास
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

18.क्या आवेदक एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण/उपमंडी प्रांगणों में क्रय करना चाहता है? यदि हाँ तो निम्नलिखित जानकारी दे:-

अनु- क्रमांक	मण्डी समिति एवं मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण का नाम	मण्डी/उप-मण्डी प्रांगण में उपलब्ध गोदाम/दुकान का विवरण
(1)	(2)	(3)

19.क्या आवेदक राज्य की किसी मण्डी समिति का अनुज्ञप्तिधारक है या पूर्व में रहा है? यदि हाँ तो निम्नलिखित विवरण दें:-

अनु- क्रमांक	फर्म एवं मण्डी समिति का नाम	अनुज्ञप्ति वर्ष	अनुज्ञप्ति का प्रकार (विगत वर्ष के दौरान) क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज की मात्रा एव मूल्य	भुगतान की गई मंडी फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

20.(एक) क्या किसी मण्डी द्वारा पिछले पाँच वर्षों में अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द की गई है?

(दो) क्या मंडी समिति द्वारा कोई शास्ति आधिरोपित की गई है?
यदि हाँ तो कारण दें:-

21.अधिसूचित कृषि-उपज के नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति अपेक्षित है:-

22.आवेदक द्वारा दर्शित/विनिर्दिष्ट प्रत्येक केन्द्र पर वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली अधिसूचित कृषि-उपज की कुल मात्रा- (अनुमानित)

अनु- क्रमांक	मण्डी क्षेत्र का नाम		मण्डी/उप-मण्डी प्रांगण में उपलब्ध गोदाम/दुकान का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)

23.प्रस्तावित क्रय केन्द्रों की मंडी/ उपमंडी प्रांगण से दूरी.

अनु- क्रमांक	मण्डी क्षेत्र का नाम	मण्डी प्रांगण/ उपमंडी प्रांगण का नाम	प्रस्तावित क्रय केन्द्र का नाम	मंडी प्रांगण/ उपमंडी प्रांगण की ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय की सीमा से क्रय केन्द्र की दूरी (किलोमीटर में)	प्रसंस्करणकर्ता आवेदक के प्रसंस्करण संयत्र से क्रय केन्द्र की दूरी (किलोमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

24.मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि मैंने/ हमने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है, मैं/ हम उनका समुचित पालन करूंगा/ करेंगे तथा मुझे/ हमें स्वीकार्य है.

निवेदन है कि वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति फीस रुपये तथा प्रतिभूति रुपये स्वीकार कर दर्शित/विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने हेतु 01 अप्रैल से 31 मार्च वर्ष के लिये विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने की कृपा करें.

स्थान:-

दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर तथा मुद्रा
(पदीय हैसियत सहित)

घोषणा

मैं/ हम आवेदक, एतद्वारा, निष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ/ करते हैं कि आवेदन-पत्र में प्रस्तुत उपर्युक्त जानकारी मेरे/ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास से सत्य है तथा सही अभिलिखित की गई है और कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है.

2- आवेदक ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, नियम, उपविधि, नियमावली उचित रूप से पढ लिये है, उनमें दी गई व्यवस्थाओं का पालन करते हुए ही अधिसूचित कृषि-उपज का कारबार किया जाएगा.

3- अधिसूचित कृषि उपज का विक्रेताओं को देय भुगतान या मण्डी समिति को देय मण्डी फीस के भुगतान के संबंध में कोई मामला मण्डी समिति अथवा किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है.

4- अधिनियम, नियम, उपविधि, नियमावली में दी गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन किए जाने पर आवेदक को दी गई अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगी.

5- आवेदक यह विश्वास दिलाता है कि बोर्ड या मण्डी समिति द्वारा जारी किये गये आदेशों/ निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा.

6- आवेदक, अनुज्ञप्ति के लिए विहित आवेदन-फीस एवं आवेदन-पत्र से संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है.

7- अनुज्ञप्ति का आवेदन-पत्र के अनुमोदन से संबंधित जानकारी प्राप्त होने के सात दिन के भीतर आवेदक द्वारा विहित अनुज्ञप्ति फीस एवं प्रतिभूति आपके कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी.

संलग्न

1-.....

2-.....

3-.....

स्थान:-

भागीदारों/संचालकों के हस्ताक्षर

दिनांक:-

कार्यालय के उपयोग हेतु

1- कुल रूपये..... पैसे..... (शब्दों में) (रूपये.....)
धन रसीद क्रमांक..... दिनांक..... के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस के रूप
में प्राप्त किये और अनुज्ञप्ति रजिस्टर में अनुक्रमांक पर प्रविष्टि की गई.

(लिपिक)

(लेखापाल)

2- आवेदक द्वारा प्रस्तुत लेखा बहियों का खाते (लेजर) से सत्यापन विनिर्दिष्ट मंडी समिति
द्वारा कर लिया गया है तथा सम्पूर्ण वर्ष के लिए आवेदक द्वारा किए गए क्रयों के मूल्य पर
रूपये मंडी फीस और रूपये निराश्रित शुल्क जमा कर दिया
गया है आवेदक ने वित्तीय वर्ष के दौरान विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित
कृषि उपज का कारबार करने हेतु निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार प्रतिभूति राशि रूपये
..... की सावधि जमा रसीद/ बैंक गारंटी प्रस्तुत कर दी है :-

(क) रूपये के लिए सावधि जमा रसीद/ बैंक गारंटी क्रमांक

बैंक का नाम

(ख) बैंक गारंटी रूपये बैंक तथा शाखा का नाम

तारीख तक के लिए वैध.

(लेखापाल)

(सहायक लेखाधिकारी)

(लेखाधिकारी)

3- विशेष अनुज्ञप्ति अस्वीकृत किये जाने के संबंध में जारी आदेश का
क्रमांक..... दिनांक.....

या

स्वीकृति की स्थिति में अनुज्ञप्ति क्रमांक

सहायक

अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी

प्ररूप-दो
(नियम 7 देखिये)

घोषणा-पत्र

1. मैं/ हम यह वचन देता हूं/ देते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा क्रय केन्द्र पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का पूरा भुगतान विक्रेता को धारा 37 की शर्तों के अधीन उसी दिन किया जाएगा.
2. मैं/ हम यह भी वचन देता हूं/ देते हैं कि धारा 37 की शर्तों के उल्लंघन की दशा में छठवें दिन, धारा 37 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन मेरी/ हमारी अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी और मुझे/ हमें या हमारे किसी भी नातेदार को आगामी एक वर्ष तक को कातावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जाएगी और ऐसा होने पर मुझे/ हमें कोई आपत्ति नहीं होगी.
3. मैं/ हम यह वचन देता हूं/ देते हैं कि यदि मेरे/ हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार दिए गए वचन और अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के उपबंधों का मेरे/ हमारे द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो प्रशासनिक मण्डी समिति एवं अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी को मेरी/ हमारी अनुज्ञप्ति रद्द करने देने का अधिकार होगा, जिसमें मुझे/ हमें कोई आपत्ति नहीं होगी.
4. मैं/ हम यह भी घोषणा करता हूं/ करते हैं कि मेरे/ हमारे नाम पर आवेदन पत्र की तारीख को मध्यप्रदेश में निम्नलिखित जंगम/ स्थावर संपत्ति उपलब्ध है जिस पर मेरा/ हमारा विधिक स्वामित्व है:

जंगम संपत्ति	बैंक/ ब्रांच का नाम	खाता क्रमांक	जमा रकम
(क) चालू (करण्ट) खाते में जमा रकम			
(ख) बचत खाते में जमा रकम			
(ग) सावधि (फिक्सड) में जमा			
(घ) अन्य जमा रकम			
योग			

2. स्थावर संपत्ति	स्थान	क्षेत्रफल	अनुमानित बाज़ार मूल्य
(क) भूमि			
(ख) भवन/ दुकान/ कारखाना/ गोदाम			
(ग) अन्य संपत्ति			
योग			

स्थान:-

तारीख:-

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम पदाभिधान/हैसियत
पूरा पता

प्ररूप-चार
(नियम 6 देखिये)
प्रतिभूति के संबंध में प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री फर्म/कम्पनी/सोसाइटी
..... निम्नानुसार विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में व्यापारी के रूप में कार्य करना
चाहता/चाहती है और इस प्रयोजन के लिए वह एतद्वारा अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी को
आवेदन कर रहा/ रही है:

क्रमांक (1)	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति का नाम (2)

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ दर्शित/विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय के लिए स्थापित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों की सूची संलग्न की गई है.

2. अनुज्ञप्ति फीस के मददे में रुपये 20,000/- (रुपये बीस हजार) बोर्ड के पक्ष में आहरित का एकाउंट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक..... तारीख..... इसके साथ संलग्न है.

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/हमारे द्वारा रुपये..... के लिये प्रतिभूति के रूप में बोर्ड के पक्ष में बनाई गई सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.)/बैंक गारंटी क्रमांक..... तारीख..... इसके साथ संलग्न है.

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक द्वारा क्रय केन्द्र पर क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज का पूरा भुगतान विक्रेता को उसी दिन नहीं किया जाता है तो मंडी समिति के पक्ष में बनाई गई उपरोक्तानुसार सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर.)/बैंक गारंटी भी विदा को देय राशि का भुगतान करने की शक्ति प्रशासनिक मण्डी समिति के सचिव में निहित होगी.

5. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सावधि जमा बैंक गारंटी द्वारा रकम जमा करने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा तय की जान वाली कृषि उपज के भुगतान की कोई जोखिम विक्रेताओं को नहीं है.

स्थान:-

तारीख:-

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

पदनाम/हैसियत